न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डलगढ़, जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी – उत्साह चौधरी (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्याः 258 / 2012
दायर दिनांकः 27.12.2012

उनवान

1. मूली पुत्री काना पत्नि नारायण जाति नायक निवासी सरथला हाल मुकाम बावड़ी तह. शाहपुरा जिला भीलवाड़ा।

––वादीया

बनाम

1. लालू पिता काना नायक निवासी सरथला तहसील माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा। मृतक जरिये प्रतिनिधि

1/1 राजू पिता लालू नायक निवासी सरथला– फोत

अ– अन्नू पुत्री राजू पत्नि जगदीश नायक निवासी सरथला हाल मुकाम कवलियास तह0 होड़ा।

ब– चन्दा पूत्री राजू नायक नाबालिग संरक्षक बबिलायत माता अणदा बैवा राजू नायक निवासी सरथला तह0 माण्डलगढ़।

स– दीपक(विजय) पूत्र राजू नायक नाबालिग संरक्षक बबिलायत माता अणदा बैवा राजू नायक निवासी सरथला तह0 माण्डलगढ़।

द– मु0 अणदा बैवा राजू नायक निवासी सरथला तह0 माण्डलगढ़।

1/2 घीसी पुत्री लालू पत्नि शंकरलाल नायक निवासी सरथला तह0 माण्डलगढ़।

1/3 मु0 कंचन बैवा लालू नायक निवासी सरथला तह0 माण्डलगढ़।

2. देबी पिता काना नायक निवासी सरथला तह. माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा
3. बरदा पिता काना नायक निवासी सरथला तह. माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा
4. घीसी पत्नि शंकरलाल नायक निवासी तख्तपुरा तह0 माण्डलगढ़।
5. तहसीलदार माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा

––प्रतिवादीगण

उपस्थित :–

1. श्री संदीप शर्मा (अधिवक्ता वादीगण)
2. श्री गिरधारी लाल आचार्य (अधिवक्ता प्रतिवादी)

वादपत्र अर्न्तगत धारा 88–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955

–: निर्णय :–

निर्णय दिनांकः 31.03.2021

वादपत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादीगण द्वारा वादपत्र अन्तर्गत धारा 88–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 प्रस्तुत [आवेदन] किया गया कि ग्राम सरथला पटवार हल्का सरथला तहसील माण्डलगढ़ की सरहद में स्थित आराजी संख्या 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620 किता 8 रकबा 32 बीघा 1 बिस्वा भूमि सम्वत 2045 से 2048 एवं इससे पूर्व के राजस्व अभिलेखो में वादग्रस्त भूमि वादिया एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के [पिता] काना पिता नन्दा नायक के नाम दर्ज रिकॉर्ड थी एवं उनकी मृत्यु के बाद विरासत से खाता उनके पुत्र व पुत्रीयों के नाम के नाम खोला जाना चाहिए था। काना का एक पुत्र तो उनके जीवनकाल के समय ही फोत हो चुका था तो शेष चार पुत्र मागु, लालू, बरदा व देबी व पुत्री मूली के नाम खोला जाना चाहिए था और वादीगण हिन्दू है तो हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधान लागू होते है। इसलिए

Signature Not Verified
Digitally signed by Utsah Chaud
Date: 2021.04.12 14:18:46 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी

वादग्रस्त भूमि मृतक काना के पुत्री व पुत्रों के नाम दर्ज रेकॉर्ड होनी चाहिए थी परन्तु राजस्व कर्मचारियो ने नियमों की अनदेखी कर मनमाने ढंग से काना के पुत्रो को खातेदार दर्ज कर दिया एवं वादिया जो उनकी पुत्री है है उसको खातेदार नही बनाया जबकि वह खातेदार योग्य है। सन् 2000 में काना के पुत्र मांगू की मृत्यु हो गयी तथा उसके कोई संतान नही होने से राजस्व रेकॉर्ड में जरिये नामान्तरकरण संख्या 844 मांगू का नाम हटा दिया गया था। नाम हटने से वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के नाम रह दर्ज रह गये। वादिया अपनी हिस्से की 1/4 भूमि पर फसल काश्त करने आई तो प्रतिवादीयों ने कहा कि भूमि तुम्हारे नाम दर्ज रेकॉर्ड नही है। तम्हे काश्त नही करने देगें। गोव के लोगो द्वारा समझाने पर मुझे मुश्किल से काश्त करने दी। और वादिया ने जब वादग्रस्त भूमि में अपना नाम दर्ज कराने के सहयोग के लिए प्रतिवादी संख्या 1 से 3 से मिली तो प्रतिवादियों ने मिली भगती कर प्रतिवादी संख्या 3 बरदा की भूमि मे से उसके हिस्से का विक्रय गुपचुप तरीके से प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री प्रतिवादी संख्या 4 के पक्ष मे कर दिया जो अवैध है। और प्रतिवादी संख्या 1 व 2 भी भूमि को विक्रय करने पर उदतारू है। दिनांक 05.11.2012 को वादिया गेहूँ की फसल काश्त करने आयी तो प्रतिवादीगण ने वादिया बैदखल करने की धमकी दी। वादिया मृतक काना की जायन्दा पुत्री है। और उसका वादग्रस्त भूमि 1/4 हिस्सा बनता है। और वह उसके हिस्से पर निरन्तर काश्त करते चली आ रही है। परन्तु प्रतिवादी उसे बैदखल करने पर उतारू है। अतः वादिया को भूमि के 1/4 हिस्से पर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना न्यायसंगत है। और प्रतिवादीगण वादिया को भूमि से बैदखल करने की नियत से भूमि का भूमाफियों से सौदेबाजी करने पर उतारू है। और यदि प्रतिवादीगण अपने अवैध उद्देश्यो की पूर्ती में सफल हो गये तो वादिया का वाद करना व्यर्थ हो जायेगा और उसको नुकसान होगा। अपनें हक अधिकारो से वंचित हाना पडत्रेगा जो न्यायसंगत नही है। इसलिए प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जानाद न्यायसंगत है। वादपत्र अन्दर अवधि व पूर्ण कोर्ट फीस पर पेश है। वादिया अनुतोश चाहती है कि इस आशय की घोषणात्मक डिक्री बहक वादिया विरूद्ध प्रतिवादीगण सादिर फरमाई जावें कि आराजी नम्बर 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620 कुल किता 8 रकबा 32 बीघा 1 बिस्वा भूमि का वादिया को 1/4 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है तथा राजस्व रेकॉर्ड में 1/4 हिस्से का खातेदार दर्ज किया जावें। और वादिया को वादग्रस्त भूमि से बैदखल नही करें। और फसल काश्त करने में कोई बाधा उत्पन्न नही करें। और कोई उचित अनुतोष जो वाद के तथ्यो एवं विधि के अन्तर्गत वादिया प्राप्त करने की अधिकारिणी है।

दिनांक 09.12.2013 को प्रतिवादी संख्या 2 व 5 अनुपस्थित। अतः इनके विरूध एक तरफा कार्यवाही अम्ल में लाई गयी।

दिनांक 19.10.2015 को प्रतिवादी नम्बर 1, 3, 4 की ओर से जवाब पेश किया गया जवाब में कथन किया कि जानकारी अस्पष्ट व अधूरी है इसमें नही बताया गया कि किस पूर्वज या भाई की कब मृत्यु हुई। व काना जी के मांगू एवं रामपाल विवाहित थे या नही और उनके मरने के बाद विवाहिताओं की स्थिति किस प्रकार रही। वर्तमान में जीवित है या नही स्पष्ट नही है। भूमि में प्रस्तुतकर्ता के लिये कृषि भूमि पुश्तेनी होकर उसमें उसका हिस्सा व कब्जा दर्ज होना स्वीकार नही है। क्याकि प्रकरण अस्पष्ट है। रामपाल की मृत्यु किस वर्ष व काना की मृत्यु किस वर्ष हुई स्पष्ट नही है और न ही स्पष्ट किया गया कि उसकी मृत्यु के बाद उसकी पारिवारिक स्थिति क्या रही थी। और पारिवारिक स्थिति

Signature Not Verifie
Digitally signed by Utsah
Date: 2021.04.12 14:18:4
Reason: SelfAttested

[illegible] किये बिना प्रकरण पेश किया गया और हिस्सा बढ़ाकर मांगना वादिया का अधिकार नही है। सन 2000 में मांगू की मृत्यु हुयी तो उसके पिछे अपनी विवाहिता को छोड़ कर शान्त हुये या नही इसका स्पष्टीकरण नही है। मृतक की सम्पति उनके वारिसान में तत्काल प्रभाव से समाहित हो जाती है। उनके जीवित उत्तराधिकारी हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की सारणीमय प्राथमिकता से आते है। वादिया मूली का 1/4 हिस्सा नही है क्योंकि विवाह के बाद वह स्व0 काना के वंश की सदस्य नही रही। इसलिए विधिक प्रावधान से हिस्सा प्राप्त नही होना। अधिक से अधिक 1/6 हिस्सा पाने की उत्तराधिकारिणी है। मूली मानती है कि काना जी की मृत्यु 20 वर्ष पूर्व हो गयी है तो उसे यह भी जानकारी मे होगा कि उसके पास पूर्वजो की खातेदारी भूमि है। मूली ने कभी भी पुश्तेनी जायदाद में हिस्से की मांग नही की। स्पष्ट है कि वह अपना हिस्सा लेना ही नही चाहती। उसकी जानकारी में काना जी के शेष वारिसान का कब्जा भी रहा है। वादिया ने शेष सहकाश्तकारो से न तो कब्जे की मांग की न ही पैदावार का हिस्सा मांगा। अचानक 20 वर्ष बाद मूली ने यह आपति की। और हमने कोई मिलीभगती नही की है। प्रतिवादी संख्या 3 ने अपना हिस्सा साधिकार प्रतिवादिया नम्बर 4 को विक्रय कर दिया। वादिया का वादग्रस्त जायदाद पर संयुक्त अथवा अलग कभी भी कब्जा नही रहा है। दिनांक 03.11.2012 को वादिया कभी भी काश्त करने को नही आयी। वादिया ने प्रतिवादी नम्बर 2 के साथ कूसंयोजन कर यह प्रकरण प्रस्तुत किया है। प्रतिवादी बरदा के कोई पुरूष संतान नही हुयी प्रतिवादी देबी पिता काना अपने भाई बरदा की जमीन का वसीयतनामा अपने नाम करवाना चाहता था जिसमें उसने इन्कार कर दिया तो उसने वादिया से कूसंयोजन कर प्रकरण प्रस्तुत कर दिया। जबकि वादिया का हिस्सा 12 वर्ष से अधिक समय तक नही मांगे जाने के कारण विलोपित हो चुका है। वादग्रस्त भूमि के अभिलिखित खातेदारी भूमि के विक्रय करने का अधिकार है। और घीसी के पक्ष में हुआ है। विक्रय त्रुटिपूर्ण व गैर कानूनी नही है। जबतक विक्रयपत्र प्रभावी है वादिया राजस्व न्यायालय में वाद नपही ला सकती। वादिया को दिवानी न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर उसे खारीज करवाना पड़ेगा। विक्रयपत्र शून्य की परिभाष में नही आता है। 20 वर्ष पश्चात कोई बिनायदावा उत्पन्न नही हुआ है। वादिया बिना विक्रयपत्र के सक्षम न्यायालय से खारीज करवाये कोई अनुतोष प्राप्त नही कर सकती है। किसी भी खातेदार को यह अधिकार नही है। कूसंयोजन कर किसी क्रेता को आर्थिक नुकसान पहुँचाने के लिये अन्य का सहयोग करते हुये वाद प्रस्तुत किया। वादिया सभी प्रकार की जानकारी रखते हुये आपति की जो वादिया की कूसंयोजन की स्थिति स्पष्ट करती है। वाद अवधिपार हो चुका है। वादिया किसी प्रकार के अनुतोष की अधिकारिणी नही है। वादपत्र मय खर्चा खारीज फरमाया जावें।

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र एवं प्रतिवादीगण द्वारा पेश जवाब दावा के आधार पर वादपत्र में निम्नांकित तनकियां कायम की गई :–

1. आया वादिया मृतक खातेदार काना पिता नन्दा [illegible] पुत्री होने से वादग्रस्त भूमि में वादि[illegible] है? [illegible] वादग्रस्त भूमि के 1/4 हिस्से [illegible] योग्य है।

जिम्मे वादीया ....

2. आया वादिया के पक्ष में स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री जारी किया जाना न्यायसंगत है?

जिम्मे वादीया ....

Signature Not Verified
Digitally signed by Utsah Chaudhary
Date: 2021.04.12 14:18:46 IST
Reason: SelfAttested

3. आया वादिया का विवाह हो जाने से वादिया काना के वंश की सदस्य नही रही इसलिए वादिया का वादग्रस्त आराजी में कोई हक हिस्सा नही है?

जिम्मे प्रतिवादीगण ....

4. आया वादिया का विगत 20 वर्षो से वादग्रस्त भूमि पर कब्जा नही है?

जिम्मे प्रतिवादीगण ....

5. आया वादपत्र दीवानी न्यायालय के क्षैत्राधिकार का है?

जिम्मे प्रतिवादीगण ....

अनुतोष क्या होगा ?

दिनांक 22.02.2017 को पी0डब्ल्यु0 1 मूली पिता काना नायक निवासी सरथला के बयान गवाह लिये जाकर शामिल फाईल किया गया। बयान में कथन किया कि मेरे पिताजी काना जी को मरे हुये करीब 20–22 साल हो गये उनकी 30 बीघा भूमि है। कानाजी के पुत्र मांगू , लालू, देबीलाल, बरदा, रामपाल है और में उनकी पुत्री हूँ। काना के पुत्र मागू की मृत्यु हो चुकी है। और उसकी पत्नि भी उसके जीवनकाल में ही फोत हो चुकी है। रामपाल कुवांरा ही मर चुका था। मांगू के तीन पुत्र है लालू, बरदा देबी, जो वादग्रस्त जमीन में तीन हिस्सा है व 4 हिस्सा मेरा है। मेरे हिस्से में पर 5–10 बीघा जमीन आती है। 5–6 साल पहले मुझे पता चला की मेरा नाम जमीन में नही है। जिरह वकील वादी ने की मे 5–6 साल की थी तब मेरी शादी हो चुकी थी तब से मे मेरे ससुराल ही रह रही हूँ। मेरी मॉ को मरे 20–22 वर्ष हो गये। और में अपने भाईयो को जमीन मे होने वाला खर्चा देती हूँ। मेरा नाम है या नही इसके बारे में मेरे भाईयो ने कहा कि नाम है। और 20 साल पहले किसी ने नाम कटा दिया। में घीसी को जानती हूँ। मुझे 5–6 साल पहले पता चला कि जमीन घीसी को बेच दी। लालू ने अपनी बेटी घीसी को जमीन बेच दी जो उसकी एकमात्र पुत्री है। घीसी के हिस्से से मुझे कोई एतराज नही। बाकी जो भाई उनसे में हिस्सा लेना चाहती हूँ। घीसी 15–16 जमीन पर काश्त कर रही है। मांगू मरा जब पगड़ी देबीलाल के बंधी थी। और हमारे समाज किसी मृतक के कोई संतान नही होती या कुंवारा मर जाता है तो पगड़ी बधाने वाला ही उसकी सम्पति खाता है। यह सही है कि उसकी जायदाद को राजू भोग रहा है। राजू मर गया उसकी जायदाद को उसका पुत्र भोग रहा है। जो नाबालिग है। आद जमीन अभी लालू, बरदा, देबीलाल के नाम है। जिसके मेने कोई कागज पेश नही किये।

दिनांक 16.08.2017 को प्रतिवादी संख्या 3 ने स्वयं बयान दने का प्रार्थनपत्र पेश किया गया। जिसे शामिल फाईल किया [illegible] पिता नन्दा माली निवासी सरथला के बयान लिये गये। बयान में कथन [illegible] में पक्षकारान मुकदमा को जानता हूँ मेरे गांव के [illegible] प्रतिवादी संख्या 1 व 3 के पिता काना है जिसको मरे [illegible] करीब 25 वर्ष हो [illegible] काना के 5 पुत्र व एक पुत्री है।काना के पुत्र मांगू व रामपाल फोत हो चुके है। मागू विवाहित होकर लाऔलाद फोत हो गया। और मागू की पत्नि उसके जीवनकाल में ही फोत हो गयी। रामपाल अविवाहित होकर फोत हो गया। वादग्रस्त जमीन को लालू देबी बरदा एवं मूली काश्त करते है। 4 भाई बहनो के 1/4 हिस्सा आता है। मूली का रेकॉर्ड में नाम नही है। जिरह वकील प्रतिवादी ने की मूली काना की सबसे बड़ी संतान वादिया मूली है। बाकि सभी काना के पुत्र छोटे है। मूली की

Signature Not Verified
Digitally signed by Utsah
Date: 2021.04.12 14:18:4
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी

ादी मेरे जन्म से पूर्व हो गयी।कहाँ हुई मुझे जानकारी नही है। काना मरा तब उसके सभी लड़के अलग अलग रहते थे। काना ने अपने जीवनकाल में पुत्रो को अलग अलग हिस्सेनुसार जमीन काश्त करने के लिए दे दी थी। तब से ही काना के पुत्र अलग अलग काश्त करते चले आ रहे है। मूली कोनसे नम्बर पर काश्त करती है और कितने रकबे पर मुझे याद नही है। वह चौथी पाती में काश्त कर रही है जो 7–8 बीघा है। मूली को 6 हिस्सा उसके भाईयो ने दी तब से वह काश्त कर रही है। घीसी को किसी ने जमीन बेची हो तो मुझे याद नही है।

दिनांक 24.10.2017 को प्रतिवादी नम्बर 2 देबी पिता काना ने स्वयं उपस्थित होकर साक्ष्य करने का प्रार्थनपत्र पेश किया। जिसे शामिल फाईल किया गया। साक्ष्यवादी में गवाह पी0डब्ल्यु0 3 भागुता पिता जमना नायक निवासी सरथला के बयान लिये जाकर कथन किया कि में पक्षकारान मुकदमा को जानता हूँ। में इनके पिता कानाजी को जानता हूँ। काना के 5 पुत्र व एक पुत्री है।काना के पुत्र मांगू व रामपाल फोत हो चुके है। मागू विवाहित होकर लाऔलाद फोत हो गया। और मागू की पत्नि उसके जीवनकाल में ही फोत हो गयी। रामपाल अविवाहित होकर फोत हो गया। वादग्रस्त जमीन को लालू देबी बरदा एवं मूली काश्त करते है। 4 भाई बहनो के 1/4 हिस्सा आता है। जमीन 32 बीघा है। जिसको देबी, बरदा , लालू व वादिया बौ रही है। कौन कितनी कितनी बौ रहा है मुझे जानकारी नही है। चारो भाई कहनो के 7–8 बीघा जमीन पाती आती है। मूली अपने हिस्से की जमीन को सिजारे पर काश्त कराती है। मूली का वादग्रस्त जमीन में नाम नही है। जबकि उसका नाम रेकॉर्ड मे होना चाहिए था। जिरह प्रतिवादी वकील ने की कानाजी कब मरे मुझे याद नही कानाजी मरे तब में 12–15 साल का था। कानाजी की पत्नि का क्या नाम है मुझे याद नही है। मेरे जन्म से पूर्व ही मूली का विवाह हो गया। यह सही है कि जमीन भाई बहनो में बटी हुई है। काना जीवित थ तब ही जमीन की पाती हो गयी। मूली के हिस्से में कौनसी जमीन आती है में नही बता सकता। जमीन मेरे पड़ोस में ही है। मेने होश सम्भाला तब से ही सभी भाई बहनो को काश्त करते हुये देख रहा हूँ।

दिनांक 05.11.2019 को पत्रावली काफी लम्बे समय से साक्ष्य प्रतिवादी में लम्बित है। और अवसर कोष्ट न्यायहित दिया गया फिर भी साक्ष्य प्रतिवादी में कोई गवाह पेश नही किये गये। तथा साक्ष्य प्रतिवादी का अवसर समाप्त किया जाकर साक्ष्य प्रतिवादी बन्दी की गई।

दिनांक 10.12.2019 को बहस उभयपक्ष सूनी गई। अधिवक्तागण द्वारा रूलिंग पेश की गई जिसका अवलोकन किया गया और शामिल फाईल किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Utsah Chaudhary
Date: 2021.04.12 14:18:46 IST
Reason: SelfAttested

दिनांक 11.12.2019 को वकील प्रतिवा[illegible]र से नजीर पेश की गई जिसका अवलोकन किया जाकर [illegible] किया।

दिनांक 26.10.2020 को [illegible] स्थित वकील प्रतिवादी संख्या 1 का मृत्यु होना बताया है जिनके पक्षकार [illegible]ाया जाना आवश्यक है। दिनांक 18.11.2020 को वकील वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 के कायम मुकाम का प्रार्थनापत्र मय सम्मन तलवाना पेश किया जिसको सग्रह किया गया और कायम मुकाम के सम्मन जारी है। दिनांक 02.02.2021 कायम मुकमात प्रतिवादी संख्या 1 लालू के वारिसान की और से 1/1 राजू भी फोत इसका वारिस अन्नु, अणदा, चन्दा, दीपक की और से अधिवक्ता श्री हरिश सनाढय ने अधिकार पत्र पेश किया व 1/2 घीसी पूर्व मे ही पक्षकारान है। जिसके अधिवक्ता श्री गिरधारीलाल आचार्य

उपखण्ड अधिकारी
माण्डलगढ़

पूर्व में अधिकार पत्र पेश किया गया है। दिनांक 01.03.2021 को प्रतिवादी संख्या लालू के कायम मुकमात के प्रार्थनापत्र को स्वीकार करने में अधिवक्ता प्रतिवादीगण कोई आपत्ति नही है। वादिया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनपत्र आदेश 22 नियम 4 घीसी स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 लालू के कायम मुकाम के वारिसान रेकॉर्ड पर लिया जाकर वाद पत्र पक्षकार बनाया गया। प्रतिवादी नम्बर 1/3 सम्मन पूर्व पेशी पर प्राप्त हुआ। पर कोई उपस्थित नही हुआ। अतः प्रतिवादी म्बर 1/3 कंचन बेवा लालू नायक के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई यी।वादिया की और से अधिवक्ता ने संशोधित टाईटल पेश किया जिसे शामिल काईल किया गया। पत्रावली बहस अंतिम हेतु दिनांक 16.03.2021 को नियम की गई।

पत्रावली दिनांक 16.03.2021 को बहस हेतु पेश हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता वाद द्वारा बहस में वादपत्र में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये निवेदन किया कि ग्राम सरथला कि आराजी नम्बर 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620 कुल किता 8 रकबा 32 बीघा 1 बिस्वा भूमि पुश्तेनी सम्पति होने तथा वादिया जिन उत्तराधिकार अधिनियम 1955 के तहत प्रथम श्रेणी की वारिस होने से वादग्रस्त भूमि में 1/4 हिस्सा प्राप्त करने की अधिकारीणी है। वर्तमान राजस्व रेकॉर्ड जमाबन्दी सम्वत 2069 से 72 प्रदर्श–1 अनुसार वादग्रस्त भूमि लालू, बरदा, देबी पिता काना नायक के नाम दर्ज है। खातेदार बरदा ने वादग्रस्त अराजियात में से आराजी नम्बर 616 को छोड़ते हुये शेष आराजियात में अपना 1/3 हिस्सा घीसी पत्नि शंकरलाल नायक प्रतिवादी नम्बर 4 को विक्रय कर दिया, जबकि बरदा को नियमानुसार 1/4 हिस्सा है। विक्रय करने का अधिकार था। वादिया द्वारा स्वयं अपनें बयान पी0ड0ब्ल्यु0 1 लेखबद्ध करा प्रस्तुत राजस्व रेकॉर्ड को प्रदर्श कराया गया साथ ही अपनी और से दो स्वतंत्र गवाह घीसू माली पी0ड0ब्ल्यु0 2 एवं भरागूता नायक पी0ड0ब्ल्यु0 3 के बयान परिलक्षित कराये गयें। प्रस्तुत दोनो गवाहान को भी वादग्रस्त आराजियात में वादिया का हक हिस्सा व कब्जा होना स्वीकार किया है। अतः वादपत्र वादिया डिक्री किया जावें।

प्रतिवादीगण अधिवक्ता ने बहस वादिया अधिवक्ता के तथ्यो को नकारते हुये जवाब बहस में निवेदन किया कि वादिया द्वारा 12 वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बाद वादपत्र लाया गया है। अतः वादिया वादग्रस्त भूमि में खातेदारी प्राप्त करने की अधिकारी नही है। मृतक काना के मांगू, बालू , बरदा, देबी रामपाल एवं मूली के पुत्र भी है। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि में वादिया मात्र 1/6 हिस्सा प्राप्त करने की अधिकारी है। अतः वादिया वादपत्र खारीज किया जावें। साथ ही अधिवक्ता प्रतिवादीगण ने यह भी कथन किया कि वादिया द्वारा अपने वादपत्र में यह भी स्पष्ट नही किया कि उनके पूर्वज मांगू एवं रामपाल की मृत्यु कब हुई, वे विवाहित थे या नही वादपत्र में इस बाबत कोई स्पष्ट नही किया गया। ऐसी स्थिति में वादपत्र चलने योग्य नही होकर खारीज किये जाने योग्य है। अधिवक्ता प्रतिवादीगण ने निवेदन किया कि खातेदार बरदा ने अपना हिस्सा प्रतिवादी नम्बर 4 घीसी को जरिये रजिस्टर्ड विक्रयपत्र द्वारा विक्रय कर दिया जो कानूनीरूप से सही है। अतः जब तक सिविल न्यायालय द्वारा विक्रय पत्र खारीज नही करा दिया जाता तब तक उक्त विक्रय पत्र शून्य प्रभावी नही माना जा सकता। वादपत्र खारीज फरमाया जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं वादिया द्वारा प्रस्तुत राजस्व रेकॉर्ड , बयान, गवाहान का अवलोकन कर मनन किया तनकीवार विवेचन निम्नानुसार है।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डलगढ़

Signature Not Ver
Digitally signed by Uts
Date: 2021.04.12 14:1
Reason: SelfAttested

तनकी नम्बर 1 एवं 2

तनकी नम्बर 1 एवं 2 को साबित कराने का भार वादिया पर था। द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी सम्वत 2045–48 प्रदर्श 2 अनुसार वादग्रस्त राजियात काना पिता नन्दा नायक निवासी सरथला के नाम दर्ज रेकॉर्ड थी। ना की मृत्यु के बाद वादग्रस्त भूमि लालू , बरदा, देबी पिता काना के नाम दर्ज कॉर्ड की गई। उक्त आराजियात की नकल जमाबन्दी सम्वत 2069–72 प्रस्तुत की गई जो प्रदर्श 1 है। साथ ही मांगू के नाम विरासत के नामान्तरकरण की माबन्दी भी प्रस्तुत हुई है जो सम्वत 2053–56 है। इस प्रकार पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व रेकॉर्ड , वादपत्र एवं जमाबन्दी में अंकित तथ्यो से यह सिद्ध है कि वादग्रस्त आराजियात पुश्तेनी जायदाद है। यहा हम यह भी निवेदन करना सुसंगत मानते है कि प्रतिवादीगण द्वारा अपने लवाब में यह कही भी अंकित नही है कि वादिया काना की पुत्री नही है। प्रतिवादीगण के जवाबदावे से तो यह सुस्पष्ट है कि वादिया काना पिता नन्दा नायक की पुत्री होकर 1/6 हिस्से की अधिकारी है। प्रतिवादीगण को यह आपति की उनके पूर्वज मांगू एवं रामपाल की विरासत का कोई स्पष्ट वर्णन वादपत्र में नही किया गया है। हमने वादपत्र का बखुबी अवलोकन किया। वादिया ने वादपत्र की कलम नम्बर 3 व 4 में स्पष्ट अभिलिखित किया कि काना का पुत्र रामपाल अविवाहित है। काना के जीवनकाल में ही मृत्यु हो गई तथा मांगू की भी मृत्यु सन् 2000 में हो गई तथा उसके कोई संतान न होने एवं जीवित वारिस नही है। रामपाल व मांगू की मृत्यु के कलमो को वादिया ने न्यायालय में लेखबद्ध कराये गये बयानो में भी दोहराया है तथा प्रतिवादीगण अधिवक्ता द्वारा वादिया द्वारा की गई जिरह में भी इस बात का खण्डन किया गया कि वादिया ने रामपाल व मांगू की विरासत का वादपत्र में स्पष्ट उल्लेख नही किया है। वादिया के उक्त कथनो की पुष्टि दो स्वतंत्र गवाहान पी0डब्ल्यु0 1 व पी0डब्ल्यु0 2 द्वारा भी की गई है। इस प्रकार प्रतिवादीगण द्वारा उठाई गई उपरोक्त आपति मानने योग्य नही है। इस प्रकार पूर्णतया यह साबित है कि वादिया काना पिता नन्दा नायक निवासी सरथला की पुत्री हो प्रथम श्रेणी की वारिस होने से वादग्रस्त आराजियात में 1/4 हिस्सा हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत बनता है। प्रतिवादी नम्बर 3 बरदा द्वारा वादग्रस्त भूमि में अपना 1/3 हिस्सा मानते हुये अपना हिस्सा प्रतिवादी नम्बर 4 को विक्रय किया गया है। जबकि नियमानुसार बरदा का वादग्रस्त भूमि में 1/4 हिस्सा ही बनता है। इस बाबत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में स्पष्ट किया गया है कि राजस्व प्रकरणों में अपने हिस्से से ज्यादा भूमि का विक्रय किया गया अवैध माना गया है। जहॉ तक विक्रय पत्र को शून्य पोषित किये जाने की अपील प्रतिवादीगण द्वारा उठाई गई है। तो वादपत्र में इस बाबत तनकी नम्बर 05 कायम की गई है जिसमें हम इस आपति का विस्तृत विवेचन तनकी नम्बर 5 के निस्तारण के समय किया जाना न्यायोचित होगा। फिर भी यहां यह उल्लेखित किया जाना समूचित होगा कि राजस्व प्रकरणों में विधिबद्ध यह सूव्यवस्थित सिद्धान्त है कि ऐसे विक्रयपत्र को प्रारंयत शून्य होकर अप्रभावी है। उन्हे दीवानी न्यायालय से शून्यकरण घोषित कराये जाने राजस्व प्रकरणो में कोई आवश्यकता नही है। वादिया द्वारा अपने वादपत्र को साबित किये जाने बाबत स्वयं अपने बयान लेखबद्ध करा राजस्व रेकॉर्ड नकल जमाबन्दी सम्वत 2045–48 प्रदर्श 1 पेश कर निवेदन किया कि वादिया मृतक काना की प्रथम श्रेणी की वारिस होकर वादग्रस्त भूमि में 1/4 हिस्सा प्राप्त करने की अधिकारीणी है। वादिया द्वारा प्रस्तुत स्वतंत्र गवाहान घीसू माली पी0डब्ल्यु 2 एवं भागूता नायक पी0डब्ल्यु 3 ने भी अपने बयानो में वादग्रस्त भूमि में वादिया का 1/4 हिस्से पर कब्जा काश्त होना स्वीकार किया है जबकि प्रतिवादीगण द्वारा

उपखण्ड अधिकारी
माण्डलगढ़

Signature Not Ver
Digitally signed by Uts
Date: 2021.04.12 14:1
Reason: SelfAttested

अपनी और से कोई तनकी नम्बर 1 एवं तनकी नम्बर 2 बहक वादिया विरूद्ध प्रतिवादीगण निर्णित की जाती है।

तनकी नम्बर 3, 4 व 5

तनकी नम्बर 3, 4 व 5 को साबित करानें का भार प्रतिवादीगण पर होने से इनका विवेचन एक साथ किया जा रहा है। प्रतिवादीगण द्वारा इस सम्बन्ध में किसी प्रकार की मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य पेश नही की गई है। प्रतिवादीगण का यह कहना कि वादिया का विवाह हो जाने से वादिया काना के वंश की सदस्य नही रही है। इस सम्बन्ध हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अन्तर्गत लड़की को भी प्रथम श्रेणी की वारिस के रूप में अभिलिखित किया गया है। साथ ही राज काश्त0 अधि0 1955 में स्पष्ट प्रावधान है कि मृतक खातेदार के प्रथम श्रेणी के वारिसान सम्स्त ल्ड़के एवं लड़किया उसकी सम्पति में कानूनी रूप से अपना हक हिस्सा प्राप्त करने के अधिकारी होते है। प्रस्तुत वादपत्र में अंकित तथ्यो एवं जवाबदावें तथा मौखिक साक्ष्य से साबित है कि मूली मृतक काना की पुत्री है। इस प्रकार वादिया मृतक काना की प्रथम श्रेणी की उत्तराधिकारी होकर उसका वादर्गस्त भूमि में 1/4 हिसा बनता है। साथ ही वादिया द्वारा प्रस्तुत स्वतंत्र गवाहान ने भी वादग्रस्त भूमि 1/4 हिस्से पर वादिया का कब्जा काश्त होना स्वीकार किया है। जबकि प्रतिवादीगण द्वारा कोई लिखित या मौखिक साक्ष्य वादपत्र में परिलक्षित नही कराये गये है। प्रतिवादीगण की यह आपति कि 12 वर्ष से विलोपित हो चुका है। खातेदारी अधिकारो से घोषणात्मक वादो में राज0 काश्त0 अधि 0 1955 में कोई समय सीमा निर्धारित नही की गई है। अतः तनकी नम्बर 3, 4 विरूद्ध प्रतिवादीगण निर्णित की जाती है।

तनकी नम्बर 5

इस तनकी को साबित कराने का भार भी प्रतिवादीगण पर था। प्रतिवादीगण द्वारा इस सम्बन्ध में कोई दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य पेश नही की गई है। चूंकि यह तनकी कानूनी होने से इसको विस्तृतरूप से निर्णित किया गया कि हम विधिसंगत मानते है। ऐसे विक्रयपत्र जो प्रारंभतः शून्य है तथा क्या उन्हे दीवानी न्यायालयों द्वारा शून्य घोषित कराया जाना आवश्यक है। इस सम्बन्ध में राज0काश्त0अधि0 की धारा 207 सुस्पष्ट है कि अगर वाद का कारण ऐसा हो जिसके सम्बन्ध में राजस्व न्यायालय द्वारा सहायता प्रदान की जा सकती थी तो यह महत्वहीन है कि दीवानी न्यायालय से मांगी गई सहायता से अधिक या उसके अतिरिक्त है। अथवा उसके तदरूप नही है। जो राजस्व न्यायालय के द्वारा प्रदान की जा सकती थी।

.... इस तनकी के सम्बन्ध में वादिया अधिवक्ता [illegible] प्रस्तुत न्यायिक नजीर सी. जे. (सिविल) 2018(3) पेज. 163 पूर्णतया साबि[illegible] होता [illegible] उक्त न्यायिक नजीर में माननीय राज0 उच्च न्यायालय [illegible] कि राज0काश्त0अधि0 1955 धारा 207 व्यक्ति एक [illegible] किया गया आरोप यह मामला निर्णित करना चाहे कि कृषि भूमि से सम्बन्धित [illegible]य पत्र का संव्यवहार जो प्रश्नगत किया जाना चाहा गया है। शून्य है, शून्य है। क्षैत्राधिकारिता राजस्व न्यायालयों को होती है। तथा अधिनियम की धारा 207 के अन्तर्गत सिविल की क्षैत्राधिकरिता वर्णित की जाती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Utsah Chaudhary
Date: 2021.04.12 14:18:46 IST
Reason: SelfAttested

.... इस प्रकरण में यह होना माना कि दावा शून्यरूप से विक्रय पत्र को नियत कराने के लिये लाया गया है। अथवा घोषणात्मक स्थाई निषेधाज्ञा

के लिये लाया गया है। वादपत्र में पाया गया कि दावा मुख्यरूप से घोषणात्मक स्थाई निषेधाज्ञा के लिये लाया है नाकि विक्रय पत्र को नियत कराने के लिये। वादिया ने वादपत्र में स्पष्ट रूप से कहा है कि बरदा प्रतिवादी नम्बर 3 द्वारा प्रतिवादी नम्बर 4 के पक्ष में निष्पादित कराया गया विक्रयपत्र तथा उसके आधार पर खोला गया नामान्तरकरण बमुकाबले वादी को बेअसर है। वादपत्र के अंमि पेराग्राफ दादरसी जो चाही गई है। उसके अवलोकन से भी स्पष्ट होता है कि वादिया मुख्य रूप से घोषणात्मक स्थाई निषेधाज्ञा चाहती है। इतने क्लीन हेन्ड से तथ्यो को कहकर वादिया आयी है कि यह मांगने को कोई कारण नही है कि वे इस दावें में किसी दस्तावेज को निरस्त करवाना चाहती है। इस कारण से दावें की विषय वस्तु और रिलिफ स्पष्टतया राजस्व न्यायालय के अधिकार क्षे का है। प्रतिवादी नम्बर 3 द्वारा प्रतिवादी नम्बर 4 के पक्ष में वादग्रस्त आराजियात बाबत विक्रय पत्र वादिया के बनने वाले 1/4 हिस्से तक शून्य प्रभावी है। अतः तनकी नम्बर 5 बहक वादिया विरूद्ध प्रतिवादीगण निर्णित की जाती है।

आदेश

In the present case the deceased Kana had 5 sons Mangu, Lalu, Barda, Debi and Rampal and 1 daughter Muli. Rampal died during the lifetime of his father Kana and Mangu died after Kana's death without leaving any wife or children. After Kana died without a will, the mutation for succession was filed in the name of the 4 live sons to the exclusion of the daughter. One brother Barda has sold his share to the daughter of Lalu named Ghisi (wife of Shankarlal) who is amongst the defendents. ***It is the daughter "Muli" who is filing a suit under section 88-188 of the Tenancy act as the plaintiff***

As per the arguments of the learned advocate for the plaintiff, the daughter Muli should get a total 1/4th of the share in the said property i.e. 1/6th share by birth via Sec 6 of the Hindu Succession Act added with the shares of her 2 brothers Mangu and Rampal who died without leaving a Class I heir u/s Sec 8 of the Hindu Succession Act; as a class II heir.

The learned advocate of the defendant has argued that in light of the Hon Supreme Court's judgement in ***"Vineeta Sharma vs Rakesh Sharma & Ors"*** it is true that daughters have a birth right as equal co-parceners in the ancestral property thus giving the plaintiff a right to claim a 1/6th share in the property. However the sister can not claim the property of her deceased brothers under section 8 of the Hindu Succession Act as the said section only covers self-acquired property and not ancestral property. The learned advocate has also quoted Mulla's commentary on Hindu law stating the old Mitakshara school of Hindu law to support his argument that the property must be succeeded on by survivorship to the living male heirs ie the remaining brothers on the death of the two brothers.

Both parties have agreed that the plaintiff has the right to 1/6th share in the suit property by birth. ***In the opinion of this court the main issue is whether the plaintiff has 1/6th share or 1/4th share in the suit property.*** In this matter the court observes

1. As the death of Kana occurred before the 2005 amendment to the Hindu Succession Act, the old Sec 6 of the act will apply to the case.

   However the Old Sec 6 itself states *" Provided that, if the deceased had left him surviving a female relative specified in class I of the Schedule or a male relative specified in that class who claims through such female relative, the interest of the deceased in the Mitakshara coparcenary property shall devolve by **testamentary or intestate succession**, as the case may be, under this Act and not by survivorship".*

Signature Not Verified
Digitally signed by Utsah Chaudhary
Date: 2021.04.12 14:18:46 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी

2. As Kana died without a will, it is a case of Intestate succession which for male Hindus is governed by Sec 8 of the Hindu Succession Act which states:-
"The property of a male Hindu dying intestate shall devolve according to the provisions of this Chapter:-
(a) firstly, upon the heirs, being the relatives specified in class I of the Schedule;
(b) secondly, if there is no heir of class I, then upon the heirs, being the relatives specified in class II of the Schedule;
(c) thirdly, if them is no heir of any of the two classes, then upon the agnates of the deceased; and
(d) lastly, if there is no agnate, then upon the cognates of the deceased."

Hence on the death of Kana the suit property had devolved under Sec 8 of the Hindu succession act giving a 1/5th share to each of the 4 sons and 1 daughter as Class I heirs.

3. Also It has been laid down by the Hon Supreme Court in **"Commissioner of Wealth Tax vs Chander Sen" AIR 1986** that when a Hindu inherits the property from his father under Section 8 he takes as his separate property and not as joint family property vis-à-vis his own sons. ***Thus on the death of Kana the 4 live brothers (Lalu ,Mangu, Barda & Debi) and 1 living sister (Muli) inherited 1/5th share each as their separate property.***

4. Hence it can be stated that as per Sec 8 of the Hindu succession act ***when the brother Mangu died without leaving any Class I heirs his separate share in the suit property will be devolved to the remaining 3 brothers Barda, Lalu and Debi as well as 1 sister Muli as Class II heirs equally.***

Thus in the opinion of this court the plaintiff Muli is entitled to 1/5th of the share in the suit property by birth on the account of being the daughter of Kana ; as well as 1/4th of the share of her deceased brother Mangu on account of being his sister ; coming to a total of (1/5 plus ¼*1/5) ie 1/4th of the total suit property.

अतः वादपत्र वादिया अन्तर्गत धारा 88–188 राटिए0 बहक वादिया विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर ग्राम सरथला स्थित आराजी नम्बर 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620 कुल किता 8 रकबा 32 बीघा 1 बिस्वा भूमि में वादिया को 1/4 हिस्से का सहखातेदार घोषित किये जाने के आदेश दिये जाते है। प्रतिवादी नम्बर 3 बरदा द्वारा प्रतिवादी नम्बर 4 के हक में किया गया विक्रय 1/4 हिस्से तक वैध एवं प्रभावी रहेगा। साथ ही स्थाई निषेधाज्ञा बहक वादिया विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आश्रय की जारी की जाती है कि प्रतिवादीगण वादिया के उसके बनने वाले हिस्से की भूमि के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की दखलन्दाजी नतो स्वयं करें तथा न ही किसी अन्य से इस बाबत प्रेरित करें। तदनुसार डिक्री पर्चा मुर्तिब किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 31.03.2021 को लिखवाया [illegible] ले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल होकर नम्ब[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Utsah Chaudhary
Date: 2021.04.12 14:18:46 IST
Reason: SelfAttested

उत्साह चौधरी [illegible]ई.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
माण्डलगढ़